न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वादपत्र संख्या :— 28 / 2017

1. पप्पूलाल मीणा आयु 24 वर्ष आ0 माधोलाल जाति मीणा निवासी 2 सी 23 जवाहर नगर, हाउसिंग बोर्ड बून्दी राज.

—वादी

बनाम

1. माधो आयु 85 वर्ष आ0 हरबक्श जाति मीणा निवासी ग्राम गेण्डोली खुर्द की झौपडिया तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0
2. महावीर आयु 47 वर्ष आ0 आ0 हरबक्श जाति मीणा निवासी ग्राम गेण्डोली खुर्द की झौपडिया तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0
4. बैंक ऑफ आंन्ध्रा जरिये प्रबंधक।

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 राज. टिनेन्सी एक्ट
एवं आदेश 7 नियम 1 व 2 जा0दी0
वाद वास्ते विभाजन, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—

1. वादी की और से श्री सुरेन्द्र शर्मा एडवोकेट
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

—:: निर्णय ::—

दिनांक — 16.12.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 19.04.2017 को यह वाद बंटवारा भूमि, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के पिता श्री माधो जी आ0 हरबक्ष जी को पैतृक खातेदारी अधिकारो एवं आधिपत्य की भूमि खाता संख्या 74 की ख.सं. 176 रकबा 0.45 है0, ख.सं. 181 रकबा 0.54 है0, ख.सं. 182 रकबा 0.58 है0, ख.सं. 863 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 864 रकबा 0.05 है0, ख.सं. 865 रकबा 0.30 है0, ख.सं. 866 रकबा 0.04 है0, ख.सं. 870 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 871 रकबा 0.17 है0, ख.सं. 906 रकबा 1.30 है0, ख.सं. 907 रकबा 0.84 है0, ख.सं. 919 रकबा 0.41 है0, ख.सं. 920 रकबा 0.20 है0, ख.सं. 921 रकबा 0.06 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 5.00 है0 वाके ग्राम गेण्डोली खुर्द की झोपडिया तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि वादी के पिता श्री माधोजी को अपने पिता श्री हरबक्ष जी से विरासत में अर्थात उनकी मृत्यु उपरांत प्राप्त हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 सुलभी पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 से उत्पन्न हुये एवं अन्य 3 पुत्रिया हुई। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 मीणा जाति के है तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्रियों एवं विधवा का हक नही माना गया है। इस कारण से पुत्रियों को पक्षकार नही बनाया गया है। वादी के पिता माधो जी के द्वारा वादी का लालन पालन ठीक नही किया गया है। उचित शिक्षा नही दिलवाई गई। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन सही नही किया गया तथा हमेशा प्रतिवादी सं. 2 के प्रभाव में आकर कभी बैंक से लोन लेना फिर पैसे नही चुकाना एक आम बात रही है। इस कारण से वादी बचपन से ही परेशान रहा है फिर भी अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुये मेहनत मजदूरी कर स्वयं का एवं परिवार का पालन—पोषण किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा—सुश्रेवा की है। वादी का अपनी पैतृक सम्पति में गर्भ में आने पर ही अधिकार उत्पन्न हो गया था तथा वह अपनी पैतृक सम्पति में विभाजन लेने का अधिकारी हो गया था लेकिन पारिवारिक विभाजन नही हो, प्रतिवादी संख्या 1 ही मुखिया की हैसियत से कृषि कार्य करता रहे। इस कारण से प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध कभी भी विभाजन की मांग नही की। इसके विपरित प्रतिवादी सं. 2

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

के द्वारा कई बार जमीन पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया। यंहा तक की अपने नाम जमीन हस्तानान्तरण कराने का भी प्रयास किया ऐसी स्थिति में वादी ने समझाईस की तथा घर की बात घर पर ही रहे इसका पूर्ण प्रयास किया। प्रतिवादी सं. 1 वादी के पास ही रहता चला आ रहा था लेकिन आज से लगभग 4–5 माह पूर्व वादी के घर से प्रतिवादी सं. 2 प्रतिवादी सं. 1 को यह कहकर लेकर गया कि गॉव में शादी है यह गॉव में मिल लेगे चूंकि गॉव का मामला था इस कारण से वादी द्वारा जाने की सहमति दी लेकिन वादी को ज्ञात हुआ है कि प्रतिवादी सं. 1 जो कि अत्यधिक वयोवृद्ध, ज्यादा समझने व सोचने में असमर्थ 85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है को अपने साथ मिलाकर प्रतिवादी सं. 2 ने प्रतिवादी सं0 4 बैंक से कृषि ऋण हेतु आवेदन किया है जबकि कृषि बंजड है तथा उससे ऋण नही चुक पायेगा तथा वादी के हिस्से की जमीन भी निलाम हो जायेगी। जिससे वादी को ऐसी क्षति होगी जिससे पूर्ति कभी भी संभव नही होगी। वादी ने अपने पिता को विभाजन हेतु कंहा तो स्पष्ट मना कर दिया और कंहा की जमीन मेरे नाम है मेरी इच्छा होगी जैसे करूंगा यही वाद कारण है। उक्त भूमि वादी के पैतृक अधिकारों एवं आधिपत्य की भूमि है जिस पर वादी को अधिकार प्राप्त है व पैतृक भूमि होने के कारण विभाजन प्राप्त करे तथा इस आशय की आज्ञप्ति प्राप्त करे कि उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के जीवन काल तक 1/3 हिस्से का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर तद्नुसार विभाजन की डिक्री पारित की जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 के देहांत के पश्चात 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. वादी वकील ने साक्ष्य में पप्पूलाल व प्रकाश के शपथ–पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 व खसरा गिरदावरी, सेटलमेन्ट जमाबन्दी व मिलान क्षैत्रफल पेश किये।
5. बहस वकील वादी सुनी गई। बहस सुनने के उपरांत पत्रावली का आघोपांत अवलोकन किया गया। अवलोकन पर प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित होता है कि वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिस पर वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (कूल्पी)

Scanned with CamScanner

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। वादी को वाद वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 74 की ख.सं. 176 रकबा 0.45 है0, ख.सं. 181 रकबा 0.54 है0, ख.सं. 182 रकबा 0.58 है0, ख.सं. 863 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 864 रकबा 0.05 है0, ख.सं. 865 रकबा 0.30 है0, ख.सं. 866 रकबा 0.04 है0, ख.सं. 870 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 871 रकबा 0.17 है0, ख.सं. 906 रकबा 1.30 है0, ख.सं. 907 रकबा 0.84 है0, ख.सं. 919 रकबा 0.41 है0, ख.सं. 920 रकबा 0.20 है0, ख.सं. 921 रकबा 0.06 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 5.00 है0 वाके ग्राम गेण्डोली खुर्द की झोपडिया तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी में 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्डअधिकारी
के0पाटन

Scanned with CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

पप्पूलाल V/S माधोलाल वगै0

वाद– अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि
मुकदमा नम्बर :: 28/2017

वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता व प्रतिवादी ओर से ..... अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 16.12.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। वादी को वाद वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 74 की ख.सं. 176 रकबा 0.45 है0, ख.सं. 181 रकबा 0.54 है0, ख.सं. 182 रकबा 0.58 है0, ख.सं. 863 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 864 रकबा 0.05 है0, ख.सं. 865 रकबा 0.30 है0, ख.सं. 866 रकबा 0.04 है0, ख.सं. 870 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 871 रकबा 0.17 है0, ख.सं. 906 रकबा 1.30 है0, ख.सं. 907 रकबा 0.84 है0, ख.सं. 919 रकबा 0.41 है0, ख.सं. 920 रकबा 0.20 है0, ख.सं. 921 रकबा 0.06 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 5.00 है0 वाके ग्राम गेण्डोली खुर्द की झोपडिया तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी में 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीज .....ग..... मुबलिक .....ग..... बाबत .....ग..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .....ग..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक .....ग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 16.12.2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner